

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ 2()बजट/आवंटन/ICDS/22/10595 - 10595 जयपुर, दिनांक 23/01/2023

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ
(समस्त)

विषय:-बजट का उपयोग सुनिश्चित करने बाबत।

संदर्भ:-विभाग का पूर्व पत्रांक 232232-536 दि. 21.12.22, 3765-4069 दि. 11.1.23
एवं 4807-839 दि. 13.1.23

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समस्त कार्यालयों को निम्न उपमदो में एसएनए
खाते में बजट आवंटन कर दिया गया है एवं अन्य मद जिनका भुगतान पूल बजट से
किया जाना है, में पर्याप्त बजट उपलब्ध है:-

क्र.स.	उपमद	विशेष विवरण
1	आंगनवाडी आवर्तक	सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए
2	आंगनवाडी केन्द्र किराया	सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए
3	वाहन किराया	सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए
4	प्रोत्साहन एवं मानदेय	दिसम्बर 2022 तक के लिए

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त उपमदो का नियमानुसार
भुगतान करने के साथ ही अन्य मदों (पूल बजट से) के दायित्वों का भी नियमित रूप से
भुगतान करते हुए, जारी लिमिट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करावें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एफ 2()बजट/आवंटन/ICDS/22/ 10596 - 10629 जयपुर, दिनांक 23/01/2023
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (समस्त)
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागाध्यक्ष को सूचित करने हेतु।

Signature valid

Digitally signed by Meena
Designation: _____
Date: 2023.01.23 8:09:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3065825

